

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2019-20 दिनांक-19.06.2019 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पंजाबी के पद पर चयन वर्ष 2019-20 हेतु नियमित एवं रिज्यु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2) (ए) के अन्तर्गत जारी नियमित एवं रिज्य सूची में सम्मिलित संलग्नक सूची में विवरणांकित कार्मिकों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पंजाबी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पै मैट्रिक्स वेतन लेवल 12 में चयन वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की जाकर इन्हें इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पंजाबी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे शपथकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक: 28/06/2019 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 28/06/2019 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 28/06/2019 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)

आई.एस.ए.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/ पंजाबी / डीपीसी/2019-20/1-2

दिनांक- 23 /06/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. संयुक्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/पंजाबी/डीपीसी/2019-20/1-2

दिनांक-23/06/2019

क्रमांक	स्वयं संरचना सूची का क्रमांक	संरचना वर्ष	व्यय वर्ष	शिक्षण वर्ष	वर्ग	जन्मतिथि	नाम लोक सेवक	व्यक्तिगत पदस्थापन स्थान	प्रवर्तित पदस्थापन स्थान	जिला
1	12818	2011- 2012	2019- 2020	T	ST	27.08.1983	SANDEEP KUMAR	राजस्थानि बार्वा हनुमानगढ़	GASS MORJANDSIKHAN, SANGARIA (08020606404 ) (SANGARIA)	HANUMANGARH
2	12812	2011- 2012	2019- 2020	T	ST	15-05-82	BALWANT KUMAR	राजस्थानि शाहपीनी, हनुमानगढ़	GASS GAHDU, HANUMANGARH (08020100801 ) (HANUMANGARH)	HANUMANGARH

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर